

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/1349

दिनांक:- 10/11/2020

आदेश

आवासीय अभियंता, खण्ड-झौंगरपुर, उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय के अधीन शिवाजी नगर स्कीम एक्सटेंशन झौंगरपुर में मध्यम आय वर्ग-अ डुप्लेक्स के कुल 03 आवासों को IB (MHA), GOVT. OF INDIA, UDAIPUR (RAJ) को वर्तमान लागत पर आवंटन किये जाने के सम्बंध में की गई अनुशंषा के आधार पर नगद भुगतान पद्धति से आवंटन करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। आवंटित किये जाने वाले डुप्लेक्स आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं. सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	उपलब्ध कुल फ्लेट्स की संख्या
1	शिवाजी नगर, स्कीम एक्सटेंशन,	मध्यम आय वर्ग-अ डुप्लेक्स	7-A-02, 7-A-03, 7-A-04	03
Total				03

संबंधित उप आवासन आयुक्त, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध डुप्लेक्स आवासों का आवंटन वर्तमान लागत पर नगद भुगतान पद्धति में IB (MHA), GOVT. OF INDIA, UDAIPUR (RAJ) को किया जाना सुनिश्चित करें।

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-झौंगरपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, झौंगरपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक